श की
र्श सं0
और रीख

आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

1 2 3

10/06/19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तर अपील वाद सं0–08/2018–1'9
ऐजाबुल शेख
बनाम
मोतीउर रहमान वगै0
आदेश

यह नामन्तण अपील वाद आवेदन आवेदक ऐजाबुल शेख, पे0–हाजी जोहाक शेख, सा0–हाजी जोहाकटोला, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तण अपील वाद संख्या 2168/2017–18, 2169/17–18 एवं 2170/17–18 में दिनांक 09.02.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 22.12.2018 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

इस राजस्व विविध वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी।

मौजा	तौजी न0	जमाबंदी न0	रकवा
दाहुटोला	128	344, 344/1 एवं 242	07–00–00

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी की ओर से सूचीबद्ध कागजात दाखिल की गई है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा दाहुटोला के तौजी न0 128 जमाबंदी न0 344,344/1 एवं 242 में कुल रकवा 07–00–00 धूर जमीन का अपीलार्थी के द्वारा सरकारी लगान नियमित रुप से हर वर्ष जमा करते आ रहे हैं तथा उक्त जमीन पर अपीलार्थी का दो कमरा, बरामदा है, जो पूर्व से ही उनके दखल कब्जा एवं स्वामित्व में है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विपक्षीगण जाली कागजात प्रस्तुत कर कानुन को अंधकार में रखकर विभिन्न निबंधित केवालाओं से अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा नामान्तरण करा लिये है। नामान्तरण संबंधी विवरणी निम्न प्रकार हैः–

नामान्तरण वाद संख्या	जिनके नाम से नामान्तरण हुआ है	जमाबंदी न0	रकवा
2168/17–18	जान मोहम्मद	344 341	03–10–00 01–10–00
2169/17–18	राहेला बीबी, पति–स्व0 जान मोहम्मद	242	03–10–10
2170/17–18	मोतीउर रहमान एवं अहमद रजा	344/1	02–00–00

साथ ही अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उत्तर वादीगण, जिससे जमीन खरीदे है, उनका पंजी–॥ में (खतियान) कही पर जमाबंदी न0 344,344/1 एवं 242 में नाम अंकित नही है। जमाबंदी न0 344,344/1 एवं 242 का एक मात्र रैयत अपीलार्थी ऐजाबुल ही है। वे विपक्षीगण को जमीन कभी बेचे ही नही है।

अंत में अपीलार्थी के विद्वान अधिक्ता का कहना है कि उत्तरवादी के नामान्तरण आवेदन पत्र के आलोक में अपीलार्थी को कभी भी नोटिस प्राप्त नही कराया गया है तथा उत्तरवादी ने अपीलार्थी के विरुद्ध द0प्र0स0 की धारा 144 का वाद, जिसका क्रि0मि0 केस ख्ंया 543/2018 है, उसमें उत्तरवादी के द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नही कर पाया था, फलस्वरुप

Scanned with CamScanner

संबंधित वाद समाप्त हो गया था।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दाखिल नामान्तरण अपील वाद संख्या 2168/17-18, 2169/17-18 एवं 2170/17-18 को अपास्त (Set -a-side) करने का अनुरोध किया है।

आज उत्तरवादी अनुपस्थित। न ही उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखत बहस एवं अन्य कागजात ही समर्पित किया गया है।

अंचल अधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त। नामान्तरण वाद संख्या 2168/17-18, 2169/17-18 एवं 2170/17-18 का अवलोकन किया। उक्त सभी में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन रैयती एवं खरीद बिक्री है। आवेदक ने स्वयं जमाबंदी रैयत से क्रमशः निबंधित केवाला संख्या-2268/दिनांक 20.04.1990 के द्वारा कुल 05-00-00 धूर, निबंधित केवाला सं0 4951/दिनांक 07.10.1993 के द्वारा 03-10-10 धूर एवं केवाला संख्या 723/दिनांक 17.10.2008 के द्वारा 02-'00-00 (जो प्रथम पृष्ट पर अंकित है) धूर जमीन क्रय कर दखल में है, तथा आवेदित जमीन आम खास, भूदान, बसगीत पर्चा, भू-हदबंदी, देवस्थल, एवं रेलवे B Class जमीन से अप्रभावित है। फलस्वरुप 16 आना रैयतों के अन्नापति के अभाव में नामान्तरण की स्वीकृति दी जा सकती है। जिसकी अनुशंसा अंचल निरीक्षक के द्वारा भी की गई है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 14(2) का पालन नही हुआ है। फलस्वरुप अंचल अधिकारी, राजमहल के नामान्तरण वाद संख्या 2168/17-18, 2169/17-18 एवं 2170/17-18 दिनांक 09.02.2018 में पारित आदेश को अपास्त (Set -a-side) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

92/ख्र०
10/08/19

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner